DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION GOVT. OF NCT OF DELHI GF, BOARD OF TECHNICAL EDUCATION BUILDING, TTE COMPLEX MUNI MAYA RAM MARG, PITAM PURA, DELHI-110034

No.F 30(18)/DHE/PMS-MOMA/2021-22 3698 99-3904 Dated: 63/11/2021

To.

The Registrar/ Principals (As per list enclosed)

Sub:- State/UT/Community-wise physical allocation of scholarship and Timeline Activities under the Two scholarship Schemes viz. Post-Matric and Merit cum means Scholarship schemes for minorities Communities for the year 2021-22.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a letter No.NSP/PA/ADM/North/2021/9219-9233 dated 21.10.2021 received from Office of Additional District Magistrate (North) vide which he refer the letter No. SS-15/4/2021-scholarship-MOMA dated 25.08.2021 issued by the Join Secretary, Ministry of Minority Affairs, GOI regarding timeline for applying at portal w.e.f. 18the August, 2021 to 30th November, 2021 for the schemes for Minority Students.

Therefore, all the Universities/Colleges/Institutes are requested to spread awareness among the students so that maximum number of students belonging to Minority Community may avail the benefit of these schemes.

This is for your kind information and necessary direction.

Encl:- As above.

(R.P. Meena) Admin Officer (HE)

Copy for information to:

 ADM (North), Office of Additional District Magistrate (North), DM (North) Office Complex. GTK Road, Alipur, Delhi-110036.

 State Nodal Officer (scholarship), Office of the Pr. Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner, Department of Revenue, Govt. Of NCT of Delhi (Minority Cell), 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

MOST IMMEDIATE

SS-15/4/2021-Scholarship-MoMA Government of India Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003 Dated 25th August, 2021

To

The Chief Secretary/Administrator
All State Governments/UT Administrations
(Implementing Pre-Matric, Post-Matric and
Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for Minorities)

Subject: State/UT/Community-wise Physical Allocation of Scholarships and Timeline Activities under the three Scholarship Schemes for minority communities for the year 2021-22- regarding.

Madam / Sir,

The Ministry of Minority Affairs implements three Scholarship Schemes viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for the Minorities as Central Sector Schemes through National Scholarship Portal (NSP) of the Government of India and the students can apply under these schemes through URL www.scholarships.gov.in. or through the link available on www.minorityaffairs.gov.in or through Mobile App- National Scholarships (NSP). Scholarships are awarded under these Schemes to the economically weaker and meritorious students from the six centrally notified minority communities viz. Buddhist, Christian, Jain Muslim, Sikh and Zoroastrian (Parsis) pursuing studies in India in a Government or recognized private university/institute/ college/school.

2. The Central Government has decided to open the National Scholarship Portal (NSP) on 18th August, 2021 for the three Scholarship Schemes for 2021-22 and detailed is as under:-

а	Opening of NSP Portal for Submission of Pre-Matric, Post-	18.08.2021
d	Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application.*	
b	Last date of applying for Pre-Matric Scholarship application.	15.11.2021
С	Last date of applying for Post-Matric and Merit-cum-Means	30.11.2021
	based Scholarship application.	
d	Last date for First Level Verification	15.12.2021
е	Last date for Second Level Verification	31.12.2021

*Only Online applications under the Schemes will be accepted and no request for Offline applications will be entertained.

- 3. The States/UTs should publicise the Schemes through advertisements in leading local newspapers and other popular means in their respective State/UT to enable maximum minority students to avail the benefits of these scholarship schemes. A copy of draft Advertisement for their use, as approved by MoMA is at Annex-I. At the National level, Ministry of Minority Affairs will be issuing an advertisement.
- 4. The State-wise/Community-wise physical allocation under Schemes for the financial year 2021-22 is yet to be done as the scheme and guidelines are likely to be revised shortly. Hence, the same shall be intimated separately in due course. In so far as Renewal applications are concerned, there is no target for them and all Renewal applications are eligible for the year. The actions to be taken by the State Governments/UT Administrations related to the implementation of the 3 Scholarship Schemes is at Annexure-I for strict compliance.
- 5. Please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,

Niva Singh

(Niva Singh)

Joint Secretary to the Government of India

tel: 011-24364288

Copy to :-

1. Joint Secretary (DBT), (Shri Saurabh K-Tiwari)

Cabinet Secretariat, 4th Floor, Shivaji Stadium, New Delhi.

2. The Principal Secretaries/Secretaries

In-charge Minority Welfare Department, All State Government/UT Administration.

- 3. Nodal Officer of States/UTs (Dealing with minority welfare Department).
- 4. NIC, MoMA for uploading in the website of the Ministry.

तले में एक व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीके की जगह रेबीज का टीका लगा दिया गया। इसके बाद चिकित्सा केन्द्र की एक चिकित्सक और नर्स की निलंबित कर दिया गया है।

ाणे नगर निगम (टीएमसी) के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि स्थानीय निवासी राजकुमार यादव सोमवार को यहां कलवा क्षेत्र के एक चिकित्सा केन्द्र में कोविड-19 रोधी टीका लगवाने आए थे, लेकिन वह गलत कतार में खड़े हो गए। टीका लगने के बाद उन्हें बतावा ाया कि उन्हें रेबीज का टीका लगाया ाया है। इसे सुनकर व्यक्ति घवरा अया ग लेकिन अब वह ठीक है। -

इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से तकायत की। प्राथमिक जांच पर इकित्सा केन्द्र की महिला चिकित्सक. र्स को निलंबित कर दिया गया।

सबसे कत

५६ लोग स्वस्थ

कोरोना महायारी को हराया। इसी के रा 20,487 हो गई और इलाजरत केंद्रशासित प्रदेश में कुल मृतकों की इताया कि लेह में कोविड-19 के दो पंख्या 20,788 हो गई। लहाख में र कारगिल में हैं।

क्रमितों की संख्या 3,37,16,451 । गई। वहीं, 378 और लोगों की क्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या ढ़कर 4,47,751 हो गई। मरीजों के कि होने की राष्ट्रीय दर 97.83 विशत है, जो मार्च 2020 के बाद से बसे अधिक है।

वैदाकर हही सरकार

ञ्र नियम लागू किए

प्रकाशित १० वर्षीय राष्ट्रीय और लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कुछ इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों 5 रूप में साइन-अप करने की बात कही गई है। इसके तहत गेम । करने, सामग्री की समीक्षा करने त करने को कदम उठाए जाएंगे।

देखाने से इनकार किया है जिसका रवाओं परविपरीत प्रभाव पड़े। चीन की साइबरस्पेस अथॉरिटी ने फैन ग्रुप पर आरोप लगाया था के वे बच्चों के सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं।

नई दिल्ली | पेकम कुनार पाण्डेच

चीन से बढ़ते साइबर खतरों के महेनजर भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क तैयार करेंगे। चारों देश चीनी एप के खतरों और 5जी तकनीक के दुरुपयोग से निपटने की साझा रणनीति भी अपनाएंगे। चीनी एप और उसके असुरक्षित साफ्टवेयर का जवाब देने के लिए क्वाड देश बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी में हैं।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना इन मुद्दों को क्वाड बैठक में उठाया था। सूत्रों ने

ववाड म ।कया गया था विमर्श

साइबर सहयोग का मकसद साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सूत्रों ने कहा कि चीन तकनीक के जरिए भी विभिन्न देशों को निशाना बना रहा है। इन खतरों पर क्वांड में विचार-विमर्श किया गया था। नेताओं ने तय किया था कि इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इसका सीघा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चीन जिस तरह से साइबर आक्रामकृता की रणनीति अपना रहा है आने वाले दिनों में इसका जवाब क्वांड देश मिलकर देंगे।

कहा कि साइबर खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके जरिए प्रतिद्वंदी देशों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने उनकी



सूचनाओं में सेंधमारी का काम व्यापक स्तर पर हो रहा है। असुरक्षित एप के जरिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए

एप और 5जी तकनीक के दुरुपयोग सहित अन्य मुद्दों को क्यांड में उठाया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन और जापान व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसका समर्थन किया था। सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों

में साइबर सुरक्षा पर चारों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग पर काम होगा। घरेल् और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट घरल् आर अतरराष्ट्राय स्तर पर बस्ट प्रीक्टस और विशेषज्ञता को चार्त देश साझा करके सुरक्षित नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के लिए काम करेंगा सुत्रों ने कहा कि साइबर खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण-बुनियादी ढांचे की मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राजस्व विभाग, दिल्ली

5, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स दिल्ली - 110054

छात्रवृत्ति की घोषणा: 2021-22 (मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2021-22 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्यात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ०६ अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है। ''राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।''

समय-सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति (वह	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	15 नवंबर, 2021
आवेदक जिसने वर्ष 2021-22 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन	(i) मैट्रिकोत्तरं छात्रवृत्ति	30 नवंचरं, 2021
	(ii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन में से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों/स्कूलों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठयक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछली बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

आवेदकों के लिए निर्देश

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइटः www.scholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप- National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज-पर उपलब्ध हैं।
- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि केवल वहीं बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में हो या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति. का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए निर्देश

सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 15 अक्टूबर, 2021 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया हो)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in जाएं। समाघान हेल्पलाइन (टोल फ्री) - 1800-11-2001 (समय सुबह 9.00 से साय 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुटियों को छोड़कर)। संपर्कः राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार E-mail: minoritycellhqdelhi@gmail.com

> प्रधान सचिव राजस्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

DIP/Shabdarth/0335/21-22







